

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE, EXTRA ORDINARY)

Government of National Capital Territory of Delhi

Land and Building Department

(Planning Branch)

D-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate

New Delhi- 110002.

Dated 16/06/2017

NOTIFICATION

No.F.12(152)/2014/L&B/MP/PLG/ 2575<sup>5</sup> .- In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 12 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with the Government of India, Ministry of Health, Family Planning and Urban Development notification No.18011 (28)/67-UD dated the 14<sup>th</sup> February, 1969, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby declares the following area described in the Schedule given below to be a "Development Area" for the purposes of the said Act, namely:-


SCHEDULE

S. No.	Development Area No.	Name of Zone	Description of Area
1	2	3	4
1.	1/2015	Urbanisable Area of Zone 'K-f'	Area falling under the list of 20 villages given below, excluding the following area mentioned in clauses (i) to (x) namely:-  (i) Built up abadi areas; (ii) Notified extended laldora abadi of villages; (iii) Land under acquisition proceedings; (iv) Land under unauthorized colonies proposed for regularization by the Government, as on the date of issue of this notification; (v) Land where Delhi Development Authority or any other government agency has issued NOC or where the plan stands approved for development by any other Government agency as on the date of issue of this notification; (vi) Land under notified forests; (vii) Gram Sabha land transferred to Revenue Department; (viii) Central Government and other Government land (including use undetermined); (ix) Land under any other Scheme of Government for which change of land use is under process under section 11A of the said Act as on the date of issue of this notification; and (x) Pre-existing institutions which are under consideration for regularization.

List of Villages:-

1. Ambrai Heri (Part in Dwarka Sub-city)
2. Bakkarwala (Part in Zone L)
3. Baprola
4. Dhool Siras (Part in Zone L & Part in Dwarka Sub-city).
5. Goela Khurd (Part in Zone L)
6. Hastal (Part)
7. Kakrola (Part)
8. Kamruddin Nagar.
9. Kirari Suleman Nagar (Part)
10. Qutab Pur.
11. Masoodabad (Part in Zone L)
12. Mundka (Part in Zone L & Rohini Sub-city)
13. Nangloi Jat (Part)
14. Nangli Sakrawat (Part in Zone L)
15. Nawada Mazara (Part)
16. Nilothi (Part)
17. Shafipur Ranhola
18. Rajapur Khurd
19. Tajpur Khurd (Part in Zone L)
20. Tilangapur Kotla.

By orders and in the name of Lt. Governor,  
National Capital Territory of Delhi,

  
(ALOK SHARMA)


Deputy Secretary (L&B)  
Govt. of N.C.T., Delhi.

No.12(152)/2014/L&B/MP/PLG

Dated:

Copy forwarded to:-

1. General Administration Department, GNCTD (in duplicate) for favour of publication in Delhi Gazette.
2. Secretary to the Government of India, Ministry of Health and Family Planning & Works & Housing & Urban Development (Department of UD) New Delhi (with 4 spare copies)
3. Vice-Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
4. Commissioner, South Municipal Corporation of Delhi.
5. Commissioner, North Municipal Corporation of Delhi.
6. Executive Officer (Impl.), DDA, Vikas Minar, New Delhi (with 5 spare copies).
7. Engineer Member, DDA, New Delhi.
8. Chief Town Planner, South Municipal Corporation of Delhi, Civic Centre, Minto Road, New Delhi-110002.
9. Chief Town Planner, North Municipal Corporation of Delhi, E-Block, 13<sup>th</sup> Floor, Civic Centre, Minto Road, New Delhi-110002.
10. Addl. Secretary (L&B), GNCTD, L&B Deptt., New Delhi-110002.
11. In-charge (Computer Cell), L&B Deptt., New Delhi-110002 with the request to update the entry on the website.
12. Central Record Room, L&B Department.
13. Legal Adviser, L&B Department.

  
(ALOK SHARMA)

Deputy Secretary (L&B)  
Govt. of N.C.T., Delhi.

(दिल्ली सरकार के असाधारण राजपत्र के भाग-4 में प्रकाशनार्थ )  
 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
 भूमि एवं मवन विभाग  
 (योजना शाखा)  
 डी-ब्लॉक, विकास मयन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-02

दिनांक : 16/06/2017

अधिसूचना

सं.एफ.12(152)/2014/भू.व.प./एम.पी./योजना/2575. स्वास्थ्य परिषद नियोजन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 180-1(28)/67-गू.डी. दिनांक 14 फरवरी, 1989 के साथ संशोधित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957(1957 की 61) की धारा 12 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल पद द्वारा घोषणा करते हैं कि निम्नलिखित अनुसूची में गणित क्षेत्र उक्त अधिनियम के प्रयोगार्थ हेतु विकास क्षेत्र होगा :

अनुसूची

क्र.सं.	विकास क्षेत्र सं०	जोन का नाम	क्षेत्र का विवरण
1	2	3	4
1	1/2015	जोन 'के-1' का शहरीकरण योग्य क्षेत्र	खण्ड (1) से (x) में उल्लेखित निम्नलिखित क्षेत्र को छोड़कर नीचे दी गई 20 गांवों की सूची के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र: (i) निर्मित अबाद क्षेत्र; (ii) गांवों की अधिसूचित लालटीर आबादी; (iii) अधिसूचित जंगलों के अंतर्गत जमीन; (iv) इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख तक, सरकार द्वारा नियमितकरण के लिए प्रस्तावित अनधिकृत कॉलोनियों के अधीन भूमि; (v) भूमि जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी ने अगति न्त जारी किया है या जहां किसी भी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा इस योजना के लिए मंजूरी दे दी है इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख तक; (vi) अधिसूचित जंगलों के तहत भूमि; (vii) राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई ग्राम सभा की भूमि; (viii) केन्द्रीय सरकार की भूमि और अन्य सरकारी भूमि (अनिर्धारित उपयोग सहित); (ix) सरकार की किसी अन्य योजना के तहत भूमि जिसके लिए इस अधिसूचना जारी करने की तिथि तक उक्त अधिनियम की धारा 11 ए के तहत भूमि उपयोग में परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है; एम (x) पूर्व-नौजूदा संस्थान जे नियमितकरण के लिए विचाराधीन है।

जोन 'के-1' के अंतर्गत गाँवों की सूची

1. अम्बरसहदेरी (हारका उपनगर के कुछ भाग)
2. मक्करवाला (जोन एल में कुछ भाग)
3. लामरोला
4. धूलशिरसा(जोन एल में कुछ भाग और हारका उपनगर में कुछ भाग)
5. गौयलाखुद (जोन एस में कुछ भाग)
6. चतसाल (कुछ भाग)
7. ललरौला (कुछ भाग)
8. कमरुद्दीन नगर
9. फिराडी सुलेमान नगर (कुछ भाग)
10. कतुबपुर
11. मरुदाबद (जोन एल में कुछ भाग)
12. मुंडका (जोन एल में एवं रोहिणी उपनगर में कुछ भाग)
13. नांगलोई जाट(कुछ भाग)
14. नंगली सफरादत (जोन एल में कुछ भाग)
15. नवाब गजरा (कुछ भाग)
16. गिलोटी (कुछ भाग)
17. शफीपुर रन्होला
18. रजापुर खुर्द
19. ताजपुर खुर्द (जोन एल में कुछ भाग)
20. तिलंगपुर कोटला ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से एतम उनके नाम पर

  
( आनंद शर्मा )

उप-सचिव(भूमि एवं भवन)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं.एफ.12(162)/2014/बू.व.भ./एम.पी./योजना/.....

दिनांक

प्रति प्रेषित-

1. सामान्य प्रशासनिक विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, (दो प्रतियों में) दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशन हेतु ।
2. भारत सरकार के सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन एवं निर्माण और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) नई दिल्ली (4 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित) ।
3. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा., विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली
4. आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ।
5. आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ।
6. कार्यकारी अधिकारी (कार्यान्वयन), दि.वि.प्रा., विकास मीनार, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।
7. अभियंता सचिव, दि.वि.प्रा., दिल्ली ।
8. मुख्य नगर नियोजक, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, सिविक सेंटर, मिल् रोड, नई दिल्ली-110002
9. मुख्य नगर नियोजक, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, ई ब्लॉक, 13वाँ भवन, सिविक सेंटर, मिल् रोड, नई दिल्ली-110002 ।
10. अतिरिक्त सचिव(भूमि एवं भवन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, भूमि एवं भवन विभाग, नई दिल्ली 110002
11. प्रभारी (कम्प्यूटर शाखा) भूमि एवं भवन की वेबसाइट में उद्यतग करने के लिए।
12. केन्द्रीय रिकार्ड रूम, भूमि एवं भवन विभाग।
13. कानूनी सलाहकार, भूमि एवं भवन विभाग ।

  
16/6/17

( आनंद शर्मा )  
उप-सचिव(भूमि एवं भवन)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार